न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–32 सन् 2020

विजय सिंह वगैरह......................................वादीगण।

बनाम

कृष्णा सिंह वगैरह...................................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 22.08.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी सं0 01 की ओर से आदेश 26 नियम 09 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 07.06.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद प्रतिवादी के खिलाफ बंटवारा हेतु दाखिल किया है तथा मुकदमा की जानकारी होने के बाद प्रतिवादी सं0 13 रीना सिंह एवं उनके पति तथा उनके वारिसान लोग विवादित जमीन का आकार, प्रकार वो स्वरूप बदलने को तैयार है। जिसके लिए स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करके आवेदन में लिखित विवादित जमीन के संबंध में वस्तु स्थिति के बारे में प्रतिवेदन मंगाना न्यायाहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि इस सवाल को स्वीकार कर किसी स्थानीय अधिवक्ता आयुकत को नियुक्त करके आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि मुकदमे की कार्यवाही के दरम्यान प्रतिवादी एक जुट होकर भूमि के स्वरूप को बदलने पर अमादे हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 07.06.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 2500/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री राकेश कुमार चौरसिया को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।